गौ-सेवा स्पॉन्सरशिप / सदस्यता (मेंबरशिप) - ऑर्गेनिक वर्ल्ड रिसॉर्ट

यह अनुबंध दिनांक _____ को **प्रथम पक्ष (कंपनी: ॐ श्री राधाकृष्ण बिज़नेस डेवलपर्स)** तथा **द्वितीय पक्ष (सदस्य/प्रायोजक)** के बीच निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है:

1. प्रस्तावना एवं स्वास्थ्य घोषणा खंड

* **रासायनिक विषाक्त पदार्थों की घोषणा:** दोनों पक्षों के बीच यह पारस्परिक रूप से सहमति है कि आधुनिक कृषि में यूरिया, डीएपी, रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा सीधे मानव शरीर में प्रवेश कर रही है। वैज्ञानिक दृष्टि से ये खाद्य पदार्थ नहीं बल्कि धीमा ज़हर (विष) हैं, जो मानव स्वास्थ्य को गंभीर क्षति पहुँचाते हैं तथा जीवन प्रत्याशा को घटाते हैं।

* **सुरक्षा का एकमात्र उपाय:** स्वयं तथा अपने परिवार को इन रासायनिक विषों के दुष्प्रभावों से बचाने का एकमात्र शेष विकल्प यह है कि पूर्णतः जैविक (ऑर्गेनिक) एवं प्राकृतिक विधियों से उत्पादित फल, सब्ज़ियाँ, दालें, अनाज तथा शुद्ध देसी गाय का दूध ग्रहण किया जाए। इस परियोजना की स्थापना में प्रथम पक्ष का मुख्य उद्देश्य समाज को इस विष से मुक्त करना है।

2. पूर्ण पारदर्शिता, प्रामाणिकता एवं लाइव विज़ुअल मॉनिटरिंग नीति (Trust & Absolute Transparency Clause)

* **अविश्वास की चुनौती एवं समाधान:** दोनों पक्ष इस तथ्य से भली-भांति अवगत हैं कि आज पूरे देश में ऑर्गेनिक उत्पादों के नाम पर विश्वसनीयता का संकट (Trust Issue) बना हुआ है, क्योंकि कई स्थानों पर चोरी-छिपे रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण विदेशी कंपनियाँ भी भारतीय उत्पादों पर पूर्ण विश्वास नहीं करतीं। इस अविश्वास को जड़ से समाप्त करने के लिए प्रथम पक्ष "खुली किताब" (Absolute Transparency) की नीति पर कार्य करता है।

* **प्रत्यक्ष अवलोकन हेतु आमंत्रण:** द्वितीय पक्ष (सदस्य) को कंपनी द्वारा विशेष रूप से "ऑर्गेनिक रिसॉर्ट" में आकर ठहरने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ताकि सदस्य स्वयं अपनी आँखों के सामने पूरी कृषि भूमि, गायों के रख-रखाव, उनके चारे और दूध निकालने की पूरी प्रक्रिया का प्रत्यक्ष अवलोकन (Live Witness) कर सके और आश्वस्त हो सके कि यहाँ कोई भी इनऑर्गेनिक या मिलावटी कार्य नहीं होता है।

* **24/7 ऑनलाइन डिजिटल निगरानी:** रिसॉर्ट प्रवास के अतिरिक्त, बाकी के पूरे समय (वर्ष के 365 दिन और 24 घंटे) प्रथम पक्ष द्वारा फार्म और डेयरी परिसर में हाई-डेफिनिशन ऑनलाइन कैमरे (CCTV Live Video Streaming) संचालित किए जाएंगे। द्वितीय पक्ष अपने सदस्यता कार्ड के माध्यम से सीधे डिजिटल या वीडियो कॉलिंग लिंक द्वारा कभी भी, कहीं से भी लाइव वीडियो देखकर खेतों और गायों की प्रामाणिकता की जांच कर सकता है।

3. सदस्यता पात्रता, पारिवारिक दायरा एवं उत्सव आयोजन नीति (Membership Eligibility & Celebrations Clause)

* **रक्त संबंधी पात्रता नियम:** यह सहमति बनी है कि इस मेंबरशिप के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ और सुविधाएं केवल मुख्य सदस्य (Primary Member) तथा उनके सीधे रक्त संबंधियों (Immediate Blood Relatives/सगे परिवार) के लिए ही मान्य और अनुमत (Allowed) हैं। मुख्य सदस्य के परिवार से बाहर के किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए यह सुविधाएं लागू नहीं होंगी।

* **पारिवारिक उत्सव एवं समारोह:** द्वितीय पक्ष (सदस्य) अपने परिवार के शुभ अवसरों जैसे कि जन्मदिन (Birthdays), विवाह वर्षगांठ (Anniversaries), वीकेंड (Weekend) गेट-टुगेदर या अन्य पारिवारिक उत्सवों का आयोजन हमारे "ऑर्गेनिक रिसॉर्ट" में कर सकते हैं।

* **अग्रिम सूचना एवं उपलब्धता नियम (2-Month Advance Booking Rule):** इन उत्सवों व समारोहों के आयोजन के लिए द्वितीय पक्ष को अनिवार्य रूप से कम से कम 02 महीने (60 दिन) पूर्व प्रथम पक्ष (कंपनी) को सूचित करके तारीख आरक्षित (Book) करवानी होगी। रिसॉर्ट में बुकिंग का फाइनल होना तारीख की उपलब्धता (Availability of Dates) पर पूरी तरह निर्भर करेगा। यदि संबंधित तारीख पर पहले से कोई अन्य बुकिंग उपलब्ध है, तो द्वितीय पक्ष को आपसी सहमति से अपनी तारीख में बदलाव (Change the Date) करना अनिवार्य होगा।

* **उचित व्यवस्था एवं आनंद:** कंपनी द्वारा इन स्वीकृत समारोहों के लिए रिसॉर्ट परिसर के भीतर भोजन, बैठने और अन्य आवश्यक मैनेजमेंट की सभी उचित व्यवस्थाएं और सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि सदस्य और उनका परिवार यहाँ आकर पूर्ण आनंद उठा सकें।

4. मुख्य लाभ एवं नियम

* **सदस्यता अवधि:** यह सदस्यता/प्रायोजन पूर्ण 5 वर्ष (60 माह) की अवधि के लिए मान्य होगी।

* **प्रथम आपूर्ति तिथि:** टेट्रा पैक पैकेजिंग प्लांट हेतु आवश्यक स्थापना समय को ध्यान में रखते हुए, शुद्ध दूध की प्रथम दैनिक आपूर्ति 7 अप्रैल (गुड़ी पड़वा / चैत्र मास नवरात्रि) के शुभ अवसर से अनिवार्य रूप से प्रारंभ होगी।

* **दैनिक लाभ एवं प्रीमियम पैकेजिंग:** द्वितीय पक्ष (सदस्य) को संपूर्ण 5 वर्षों तक प्रतिदिन सुबह 1 लीटर शुद्ध देसी A2 ऑर्गेनिक दूध वितरित किया जाएगा। शुद्धता, पोषण मूल्य तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर के ब्रांड मूल्य को बनाए रखने हेतु, यह दूध केवल सीलबंद प्रीमियम "टेट्रा पैक" (एसेप्टिक कार्टन) पैकेजिंग में ही आपूर्ति किया जाएगा, ताकि परिवहन के दौरान गुणवत्ता एवं तापमान नियंत्रण सुनिश्चित हो सके।

* **क्लब बोनस:** 5 वर्ष की अवधि के दौरान, द्वितीय पक्ष (सदस्य) प्रथम पक्ष (कंपनी) के अधिकृत "ऑर्गेनिक रिसॉर्ट्स" में कुल 35 दिनों के निःशुल्क प्रवास (फ्री स्टे) का आनंद ले सकते हैं, जहाँ उन्हें पूर्णतः प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक वातावरण का अनुभव प्राप्त होगा।

* **सुरक्षा जमा राशि की 100% वापसी:** 5 वर्ष पूर्ण होने पर, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई कुल राशि रु. 1,00,000/- बिना किसी कटौती के पूर्णतः वापस की जाएगी। गायों तथा उनकी संतानों का संपूर्ण कानूनी स्वामित्व सदैव प्रथम पक्ष (कंपनी) के पास ही रहेगा।

5. त्रि-गौ एवं निराश्रित गौ सेवा मॉडल (प्रायोजन मॉडल)

* **गायों का प्रबंधन:** द्वितीय पक्ष (सदस्य) द्वारा जमा की गई सुरक्षा राशि का उपयोग करते हुए कुल 03 (तीन) देसी गायों का प्रबंधन किया जाएगा।

* **दूध आपूर्ति एवं गौ सेवा का विभाजन:** इन तीन गायों में से, 01 गाय से प्राप्त दूध नियमित रूप से द्वितीय पक्ष के परिवार को आपूर्ति किया जाएगा, जबकि शेष 02 गायों को पूर्णतः "निराश्रित गौ सेवा" (बे-सहारा गौ-सेवा) के अंतर्गत रखा जाएगा। इस निधि का एक बड़ा हिस्सा सड़कों एवं मार्गों पर विचरण करने वाली निराश्रित तथा असहाय गायों के बचाव, चिकित्सा उपचार तथा पौष्टिक चारा-पानी की व्यवस्था पर सीधे खर्च किया जाएगा।

6. भविष्य की दृष्टि एवं जैविक उत्पाद विस्तार खंड

* **आगामी उत्पाद शृंखला:** दोनों पक्षों के बीच यह सहमति है कि वर्तमान में यह परियोजना 'शुद्ध देसी A2 दूध' के साथ प्रारंभ की जा रही है। परंतु आने वाले दिनों में, प्रथम पक्ष (कंपनी) अपनी उत्पादन क्षमता का विस्तार करेगी।

* **अन्य जैविक उत्पाद:** भविष्य में, कंपनी द्वारा पूर्णतः प्राकृतिक एवं जैविक विधियों से तैयार किए गए अन्य डेयरी उत्पाद, जैसे शुद्ध ऑर्गेनिक घी, गाढ़ा दही, मक्खन, तथा कृषि उत्पाद जैसे ऑर्गेनिक फल, सब्ज़ियाँ, दालें, चावल एवं सभी दैनिक उपयोग के FMCG उत्पाद भी उत्पाद श्रेणी में सम्मिलित किए जाएँगे। इन उत्पादों के शुभारंभ पर, इस विशेष द्वितीय पक्ष (सदस्य) को इन्हें प्राप्त करने तथा विशेष ऑफ़र्स का लाभ उठाने का प्राथमिकता अधिकार (प्रायोरिटी राइट) प्राप्त होगा।

7. नो-कैश नीति एवं भुगतान शर्तें

* **सख़्त नो-कैश नीति:** प्रथम पक्ष (कंपनी) किसी भी प्रतिनिधि अथवा व्यक्ति के माध्यम से किसी भी परिस्थिति में नक़द (कैश) स्वीकार नहीं करती है। सभी भुगतान केवल चेक, गूगल पे, अथवा ऑनलाइन बैंक ट्रांसफ़र (RTGS/NEFT/IMPS) के माध्यम से सीधे कंपनी के आधिकारिक बैंक खाते में ही मान्य होंगे।

* **भुगतान अनुसूची:** कुल रु. 1,00,000/- का भुगतान निम्नलिखित चरणों में अनिवार्य है:

1. टोकन राशि: बुकिंग के समय रु. 101/-। भुगतान: ☐ हाँ ☐ नहीं

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर: _____ द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर: _____

2. प्रथम किश्त: बुकिंग के 1 सप्ताह (07 दिन) के भीतर रु. 10,000/-। भुगतान: ☐ हाँ ☐ नहीं

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर: _____ द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर: _____

3. शेष राशि: बुकिंग की तिथि से अधिकतम 45 दिनों के भीतर शेष रु. 89,899/- का पूर्ण भुगतान। भुगतान: ☐ हाँ ☐ नहीं

प्रथम पक्ष के हस्ताक्षर: _____ द्वितीय पक्ष के हस्ताक्षर: _____

8. ऑर्गेनिक वर्ल्ड मेंबरशिप कार्ड

* **कार्ड जारी करने हेतु अनिवार्य शर्त:** आधिकारिक "ऑर्गेनिक वर्ल्ड मेंबरशिप कार्ड" केवल तभी जारी किया जाएगा जब कुल सदस्यता राशि रु. 1,00,000/- (रुपये एक लाख मात्र) प्रथम पक्ष (कंपनी) के बैंक खाते में सफलतापूर्वक जमा हो जाए।

* यह कार्ड द्वितीय पक्ष की पहचान, दैनिक टेट्रा पैक दूध आपूर्ति के सत्यापन, लाइव कैमरा फीड एक्सेस करने, और ऑर्गेनिक रिसॉर्ट में प्रवास तथा पारिवारिक उत्सवों के पास के रूप में कार्य करेगा।

9. संतुष्टि गारंटी एवं तत्काल धनवापसी नीति (30-दिवसीय परीक्षण)

* यदि द्वितीय पक्ष (सदस्य) प्रथम 01 माह (30 दिन) के भीतर दूध की गुणवत्ता अथवा सेवा से असंतुष्ट हैं, तो वे सदस्यता रद्द कर सकते हैं। सूचना प्राप्त होने पर, सदस्यता तत्काल समाप्त कर दी जाएगी तथा पूरी रु. 1,00,000/- राशि बिना किसी कटौती के 01 माह के भीतर वापस कर दी जाएगी। इस परीक्षण अवधि के दौरान ग्रहण किया गया दूध पूर्णतः निःशुल्क रहेगा।

प्रथम पक्ष (कंपनी प्रतिनिधि) के हस्ताक्षर
हेतु: ॐ श्री राधाकृष्ण बिज़नेस डेवलपर्स
नाम:

द्वितीय पक्ष (सदस्य) के हस्ताक्षर
नाम:
पता: